न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 256/2019–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

भिन्सेंट भेंगरा – विक्रेता

पूनम बरला – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
13.07.20	**आदेश**	

आवेदक भिन्सेंट भेंगरा पिता स्व0 स्तानिसलास भेंगरा ग्राम–पीरी टोली, खूँटी, थाना खूँटी जिला खूँटी ने पूनम बरला पति बिरसा बरला ग्राम–पिडीटोली, खूँटी, थाना–खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
महुँवाटोली	85	07	308	0.08

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 1515245950 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 473 दिनांक 24.06.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0 768 दिनांक 09.12.1986 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम कोटे पाहन हैं। पंजी II के अनुसार स्तानीसलस भेंगरा के नाम भूमि का रकवा 0.49 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 0.24 के आलावा अन्य मौजा रोड़ो खाता सं0 92 रकबा 2.67 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.91½ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 65299.00(पैसठ हजार दो सौ निनानब्बे)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2. 83½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण भिन्सेंट भेंगरा पिता स्व0 स्तानिसलास भेंगरा को पूनम बरला पति बिरसा बरला के साथ ग्राम महुँवाटोली के खाता सं0 07 खेसरा संख्या 308 कुल रकबा 0.08 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 65299.00(पैसठ हजार दो सौ निनानब्बे)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

13/07/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

13/07/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।